नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के तहत विद्यालयी सुरक्षा के प्रबंध, प्रावधान एवं उपादेयता

विनय कुमार*
आलोक गार्डिया**

विद्यालयी सुरक्षा समकालीन शिक्षा जगत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याओं एवं चुनौतियों में से एक है। कहा जाता है— शिक्षा व्यक्ति का निर्माण करती है और व्यक्ति, समाज और फ़िर देश का निर्माण करता है। ऐसे ही भाव कोठारी कमीशन (1964-66) के प्रतिवेदन में भी परिलक्षित होते हैं, जिसमें कहा गया है, "भारत के भाग्य का निर्माण इसकी कक्षाओं में हो रहा है।" परंतु व्यक्ति निर्माण से लेकर समाज और फ़िर देश और देश के भाग्य-निर्माण का यह कार्य पूर्णतया सुरक्षित एवं भयमुक्त विद्यालयी वातावरण में ही संभव है, जिसकी आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के तहत विद्यालयी सुरक्षा के अत्यंत व्यापक एवं प्रासंगिक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें संपूर्ण विद्यालयी सुरक्षा को प्रमुखत: दो वर्गों में विभाजित किया गया है— भौतिक सुरक्षा एवं मनो-सामाजिक सुरक्षा। प्रस्तुत प्रपत्र में इन्हीं विद्यालयी सुरक्षा के प्रावधानों एवं संबंधित विषयों को प्रस्तुत किया गया है।

विद्यालयी सुरक्षा

विद्यालयी सुरक्षा की संकल्पना एक अत्यंत व्यापक एवं बहुआयामी संकल्पना है। जो काफ़ी लंबे समय से शैक्षणिक प्रसंग में चर्चा एवं चिंता का विषय रही है। सामान्य अर्थ में विद्यालयी सुरक्षा का तात्पर्य विद्यालय परिसर में उन भौतिक-अभौतिक,

* यू.जी.सी, *कनिष्ठ शोध अध्येता*, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 221010.
** *प्रवाचक,* शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 221010.

Chapter 10.indd 91 7/28/2017 2:50:58 PM

मूर्त्त-अमूर्त्त, मनो-सामाजिक एवं मानसिक-संवेगात्मक तत्वों की अनुपस्थिति से है, जो नकारात्मक रूप से प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: शिक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं।

विद्यालयी सुरक्षा का संबंध केवल विद्यालयी परिसर तक सीमित न होकर, संपूर्ण शिक्षण-अधिगम वातावरण, छात्र-छात्राएँ, कक्षा-कक्ष, विद्यालय परिसर, शिक्षक, माता-पिता तथा संपूर्ण समुदाय से होता है। (लुण्डवर्ग, 1994)

इस प्रकार सुरक्षित विद्यालय की संकल्पना का संबंध भौतिक एवं मनो-सामाजिक दृष्टियों से सुरक्षित विद्यालय के उस स्वरूप से है, जो समस्त प्रकार के जोखिमों एवं संभावित अनहोनी के भय से मुक्त हो तथा जहाँ बिना किसी भय, उपहास, धमकी, उत्पीड़न, अपमान एवं हिंसा के छात्र-छात्राएँ अधिगम कर सकें, शिक्षक शिक्षण का कार्य कर सकें एवं गैर-शिक्षणकर्मी अपने-अपने कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

शिक्षा न केवल व्यक्ति विशेष वरन् संपूर्ण राष्ट्र के भाग्य का निर्धारण करने वाले तत्वों में सर्वप्रमुख एवं सर्वप्रभावी स्थान रखती है। किसी भी देश की प्रगति एवं विकास में जिन तत्वों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनमें शिक्षा एवं शिक्षा-व्यवस्था का केंद्रीय स्थान है।

आज संपूर्ण विश्व में लगभग सारे राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना अपना प्रमुख नीतिगत उद्देश्य मानते हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का मौलिक अधिकार बनाया गया है, तथा शासन स्तर पर इस संदर्भ में सारे प्रयास "शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009" के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ही किए जा रहे हैं। "शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009" अत्यंत व्यापक अधिनियम है एवं इसमें शिक्षा के सारे आयामों की विवेचना विस्तृत रूप में की गई है एवं उनसे संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं। उनमें कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं, जो वर्तमान सामाजिक-आर्थिक एवं मनो-संवेगात्मक परिस्थिति में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और उन पर अविलंब ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, उनमें से एक है — विद्यालयी सुरक्षा प्रबंध। कहा जाता है — शिक्षा व्यक्ति का निर्माण करती है और व्यक्ति राष्ट्र का निर्माण करता है, किसी राष्ट्र का भविष्य कैसा होगा, वह किस दिशा में जाएगा, इसका निर्धारण उस देश की शिक्षा ही करती है। इसी मंतव्य को परिभाषित करते हुए कोठारी कमीशन (1964–66) ने भी कहा था, "भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है।"

विद्यालय न केवल विद्या के केंद्र होते हैं, अपितु वे ऐसे केंद्र होते हैं, जहाँ मानव पूंजी के निर्माण का कार्य किया जाता है, जहाँ मनुष्य का निर्माण किया जाता है और किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण अपरिहार्य तत्व हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के तहत विद्यालयी सुरक्षा संबंधी प्रावधान

शिक्षा के अधिकार अधिनिमय–2009 के तहत विद्यालयी सुरक्षा संबंधी जिन प्रावधानों की व्यवस्था

की गई है, उन्हें समग्रत: दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

(अ) विद्यालयी सुरक्षा के भौतिक आयाम संबंधी प्रावधान

(ब) विद्यालयी सुरक्षा के मनो-सामाजिक आयाम संबंधी प्रावधान

(अ) विद्यालयी सुरक्षा के भौतिक आयाम संबंधी प्रावधान

विद्यालयी सुरक्षा प्रबंध के भौतिक आयाम के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को विद्यालयी सुरक्षा के लिहाज़ से शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 में सम्मिलित किया गया है—

1. विद्यालय की अवस्थिति
2. विद्यालय की भवन-संरचना
3. विद्यालयी परिसर
4. कक्षा-कक्ष का निर्माण एवं संरचना
5. शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी
6. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी सुविधा एवं संसाधन

विद्यालय की अवस्थिति

विद्यालयी सुरक्षा के संदर्भ में विद्यालय की अवस्थिति एक महत्वपूर्ण आयाम है। विद्यालय की स्थापना करते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्यालय एक ऐसे स्थान पर अवस्थित हो, जो रिहायशी क्षेत्रों के इतने पास हो कि विद्यार्थी एवं अभिभावक आसानी से पहुँच सकें और इतना दूर हो कि लोगों के अनावश्यक आवागमन से पठन-पाठन का कार्य बाधित न हो।

विद्यालयों की स्थापना राजमार्गों, व्यस्त सड़कों, मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग, नदी, नहर, नाले, तालाब, पोखर, जंगलों आदि से पर्याप्त दूरी पर की जानी चाहिए। विद्यालयों की स्थापना करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्यालय पहुँचने का मार्ग वर्ष भर सुरक्षित एवं सुगम रहे, यह मार्ग जन-विहीन एवं सुनसान भी नहीं होना चाहिए जिससे कि बालिकाओं या बालकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े।

विद्यालयों की अवस्थिति कल-कारखानों, बाज़ारों आदि से पर्याप्त दूर सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा विद्यालयों के आस-पास कम-से-कम 100 गज़ के घेरे में किसी भी प्रकार के धुम्रपान आदि अस्वास्थ्यकर वस्तुओं की खरीद-बिक्री नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि विद्यालयों की स्थापना यथासंभव ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए, जहाँ आधुनिक सुविधाओं की सुगम पहुँच तो हो, परंतु इनके दुष्प्रभावों की पहुँच न हो।

विद्यालय की भवन संरचना

विद्यालय भवन भौतिक रूप से काफ़ी मज़बूत होना चाहिए तथा इसकी संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। विद्यालय भवन की संरचना भूकंपरोधी, अग्निरोधी आदि रूपों में होनी चाहिए।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि विद्यालयी भवन की रचना इस प्रकार से होनी चाहिए कि वह भूकंप, बाढ़, तूफ़ान, आग एवं अन्य प्राकृतिक

आपदाओं से सुरक्षित रहे। विद्यालय भवन में पर्याप्त एवं उपर्युक्त स्थानों पर आपात खिड़कियाँ भी होनी चाहिए, जिसका उपयोग आपातकाल में सुगमतापूर्वक यथा आवश्यकता किया जा सके। सुरक्षा के लिहाज़ से भवन निर्माण संबंधी कुछ अन्य बातों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे— अग्निरोधी क्रियाओं के लिए पानी एवं बालू की पर्याप्त आपूर्ति की सुविधा होनी चाहिए। विद्यालय भवन समस्त प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों से मुक्त हो, अनावश्यक भवन निर्माण सामग्रियाँ बेतरतीब ढंग से बिखरी पड़ी न हों।

परिसर (कैंपस)

विद्यालयी परिसर पर्याप्त ऊँची चाहरदीवारी से चारों तरफ़ से घिरा हुआ हो। विद्यालयी परिसर पूर्णतया व्यवस्थित एवं सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए परिसर धरातल समतल एवं अनावश्यक सामग्रियों से मुक्त हो, साथ ही विद्युत के तार आदि व्यवस्थित हों। विद्यालयों में ऐसे स्थान पर कमरे आदि न हों, जहाँ असामाजिक कार्यों के संपादन की संभावना हो।

विद्यालय का संपूर्ण परिसर नियमित एवं औचक निरीक्षण की गतिविधियों से युक्त होना चाहिए।

परिसर में अनावश्यक रूप से बाहरी तत्वों का प्रवेश निषेध हो। सुरक्षा संबंधी जायज़ा विद्यालय प्रशासन को निरंतर लेते रहना चाहिए।

कक्षा-कक्ष

विद्यालयों में कक्षा-कक्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कक्षा-कक्ष का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए इसका आकार कम-से-कम इतना हो कि 40–50 छात्रों के बैठने के अलावा शिक्षक के विचरण आदि के लिए पर्याप्त स्थान शेष रहे। इसकी दीवारों का समय-समय पर रंग-रोगन होता रहे। कक्षा-कक्ष की सफ़ाई नियमित रूप से होती रहनी चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएँ न उत्पन्न हों। विद्यालयी कक्षा-कक्ष के फ़र्श, खिड़कियाँ, श्यामपट्ट आदि पूर्णतया व्यवस्थित होने चाहिए।

शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी

विद्यालयी व्यवस्था में शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनकी नियुक्ति से लेकर शिक्षण कार्य तक गहन पर्यवेक्षण होना चाहिए।

शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व इनका पूर्ण एवं व्यापक परीक्षण किया जाना चाहिए तथा नियुक्ति के बाद भी आवधिक एवं आकस्मिक परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके लिए एक प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षणात्मक निकाय का गठन किया जाना चाहिए।

विद्यालय प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी छात्र/छात्रा का किसी भी रूप में, किसी के द्वारा भी, किसी भी प्रकार का शोषण आदि न हो तथा विद्यालय का कोई शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी किसी भी प्रकार के नकारात्मक एवं गैर-सामाजिक कार्यों में संलग्न न हो।

विद्यालयों में कम-से-कम एक महिला शिक्षक अवश्य हो तथा मध्याह्न भोजन योजना से युक्त

विद्यालयों में रसोइयों एवं सहायक आदि के रूपों में महिलाओं की नियुक्ति श्रेयस्कर हो सकती है। शिक्षकों के लिए नियमित रूप से बाल-अधिकारों, बाल-सुरक्षा आदि का शिक्षण एवं प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके साथ ही आपदा-प्रबंधन के कौशल प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं आदि का भी आयोजन समय-समय पर किया जाना चाहिए। विद्यालय के समस्त छोटे एवं बड़े कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व व्यापक एवं बहुआयामी परीक्षण किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाएँ एवं संसाधन

संपूर्ण विद्यालय परिसर में जीवन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी समस्त सुविधाएँ सुरक्षित एवं मानकीकृत रूप में उपलब्ध होनी चाहिए।

पेयजल की उत्तम व्यवस्था

पेयजल की उत्तम व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए। विद्यालय में पेयजल स्त्रोत स्वच्छ, शुद्ध एवं सुरक्षित हों। इसके लिए वाटर-फ़िल्टर, क्लोरीन टैबलेट का उपयोग यथा आवश्यकता किया जा सकता है। बच्चों में जल-जनित रोगों के फ़ैलने की संभावना अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण स्वच्छ पेयजल के प्रति अवहेलना की प्रवृत्ति होती है।

शौचालय

विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक एवं गुणवत्तापरक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। प्राय: विद्यालयों में देखा जाता है कि पृथक शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है और अगर होती भी है तो वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती है, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में तो शौचालयों का निर्माण मात्र दिखाने के लिए किया गया होता है। प्राय: अधिकांश विद्यालयों में जहाँ शौचालय उपयोग में है, वहाँ प्रवाहित जल की व्यवस्था नहीं है तथा स्वच्छता की दृष्टि से शौचालयों की दशा अत्यंत दयनीय एवं शोचनीय है। अत: विद्यालय प्रबंधन को उत्तम एवं गुणवत्तापरक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। विद्यालयों की मरम्मत एवं साफ़-सफ़ाई के लिए विद्यालय प्रबंधन को एक निश्चित वार्षिक ग्रांट की व्यवस्था करनी चाहिए।

इन सभी मूल कारकों के अलावा यह अत्यावश्यक है कि शिक्षकों को इस ढंग से विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि वे नियमित निरीक्षण के माध्यम से विद्यालय परिसर एवं बच्चों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकें। शिक्षकों को स्वास्थ्य संबंधी स्थानीय एवं विशिष्ट मुद्दों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे नशीले पदार्थों का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, ये मुद्दे काफ़ी हद तक विद्यालयों से बच्चों की अनुपस्थिति के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस स्थिति में शिक्षक एवं अभिभावकों के मध्य सहयोगात्मक रणनीति की आवश्यकता होती है। मध्याह्न भोजन के संदर्भ में भी रसोइया एवं सहायकों को उचित एवं आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही प्राप्त प्रशिक्षण का व्यावहारिक उपयोग करने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता विद्यालय प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

विद्यालयी सुरक्षा के मनो-सामाजिकता आयाम संबंधी प्रावधान

दंड

शाब्दिक, शारीरिक या मानसिक प्रताड़नाओं का प्रभाव बच्चों के मन पर काफ़ी नकारात्मक होता है तथा बच्चों के मन में धीरे-धीरे दहशत का भाव विकसित होने लगता है। धीरे-धीरे वे बोल पाने में भी असमर्थ से होने लगते हैं, संवेगात्मक एवं मानसिक रूप से टूटने लगते हैं और अंतत: विद्यालय आने का उत्साह खो देते हैं। विद्यालय में दिया जाने वाला शारीरिक दंड शारीरिक स्वास्थ्य के लिए छोटी या बड़ी हानि पहुँचा सकता है।

अत: शिक्षकों का प्रशिक्षण इस प्रकार से होना चाहिए कि वे विद्यालय में किसी भी प्रकार के दंड का सहारा न लें।

छेड़खानी/यौन शोषण

छेड़खानी एवं यौन शोषण से संबंधित मुद्दे इन दिनों काफ़ी अधिक सामने आ रहे हैं, जो प्राय: विद्यालय एवं विद्यालय के आस-पास के क्षेत्रों में घटित होते हैं।

छेड़खानी एवं यौन शोषण की समस्या विद्यालयों में इन दिनों काफ़ी गंभीर रूप ले चुकी है। जिस पर नियंत्रण लगाना बहुत ज़रूरी है।

विद्यालयों में बच्चों को इस प्रकार के प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है जिससे कि वे अच्छे स्पर्श एवं बुरे स्पर्श आदि में तीव्र गति से विभेद कर सकें। यह कार्य पूर्णतया शिक्षकों पर निर्भर करता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय इस मामले में पूर्णतया सुरक्षित है। प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यालय का हर हिस्सा हर व्यक्ति के पहुँच के योग्य है तथा विद्यालय का कोई भी स्थान एकांत/पृथक नहीं है। साथ ही शिक्षकों को भी इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिससे कि उनमें इस प्रकार की संवेदनशीलता का विकास हो कि यदि कोई बच्चा इस प्रकार का कोई संकेत दे रहा है, तो वे उसे पहचान सकें एवं तदनुरूप निराकरण का प्रयास करें।

विद्यालयी पर्यावरण

विद्यालयी परिवेश इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को विश्वास हो कि यदि विषम परिस्थिति में उसे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी और वह सहायता की माँग करेगा, तो उसे दी जाएगी। विद्यालय प्रबंधन का यह दायित्व बनता है कि नियमित दौरा आदि के द्वारा एवं विद्यार्थियों के साथ बातचीत के माध्यम से इस प्रकार का वातावरण सुनिश्चित करें। यदि विद्यालयी परिवेश अनुकूल होंगे तो बच्चे स्वयं ऐसी घटनाओं की सूचना प्रारंभिक अवस्था में ही दे सकेंगे।

स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे— विद्यालय में हेल्प डेस्क आदि की स्थापना।

शिक्षकों को सुरक्षा से संबंधित एक व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिसमें सुरक्षा-अभ्यास (Security Drills), प्राथमिक उपचार/सहायता, लिंग आधारित संवेदनशीलता, शून्य शारीरिक दंड का सिद्धांत आदि से उन्हें अवगत कराया जाता हो।

जहाँ तक संभव हो कम से कम प्रत्येक विद्यालय में एक महिला शिक्षक अवश्य हो।

सुझाव

1. 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009' एक अति व्यापक अधिनियम है और यह अधिनियम विद्यालयी सुरक्षा संबंधी समस्त प्रावधानों को धारण करता है, अत: विशिष्टतया इन प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन पर ही बल दिए जाने की महती आवश्यकता है।
2. शिक्षक एवं छात्रों के मध्य दूरी कम करने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए।
3. शिक्षकों एवं संपूर्ण विद्यालय प्रशासन को छात्र-छात्राओं के मध्य टीम भावना के विकास का प्रयास करना चाहिए।
4. प्रत्येक विद्यालय में एक सक्रिय 'विद्यालयी सुरक्षा प्रकोष्ठ', 'छात्र-शिकायत निराकरण प्रकोष्ठ' का गठन किया जाना चाहिए।
5. प्रत्येक विद्यालय में संसाधनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ' का गठन किया जाना चाहिए।
6. संपूर्ण विद्यालय में शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मियों एवं छात्रों के मध्य सहयोग एवं समन्वय की भावना का विकास किया जाना चाहिए।
7. विद्यालय एवं स्थानीय शासन के मध्य प्रभावी समन्वय होना चाहिए।
8. विद्यालय परिसर में अतिरिक्त लोगों के प्रवेश प्रतिबंधित किए जाने चाहिए।
9. 'विद्यालयी सुरक्षा प्रकोष्ठ' के अंतर्गत एक सचल-दस्ते की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जो नियमित और औचक निरीक्षण करता रहे।
10. भूतपूर्व छात्रों के प्रवेश एवं ठहरने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
11. विद्यालय एवं स्थानीय जनसमुदाय के बीच बेहतर संबंध एवं परस्पर समन्वय पर बल दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त सुझावों पर निर्मित विद्यालय निश्चित रूप से देश के प्रभावी नागरिकता निर्माण में सार्थक भूमिका निभा सकेगा।

संदर्भ

गुप्ता, ज्योति. 2009. 'सेफ़्टी पर्सपेक्टिव इन स्कूल्स.' *सीईएनबीओएसईसी – क्वार्टरली बुलेटिन ऑफ़ द सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन*. वॉल्यूम 48, अंक 2, अप्रैल-जून 2009, पृ.19–21.

गोक्येर, नेक्मी. *फ़ेक्टर्स अफ़ेक्टिंग स्कूल सेफ़्टी*. फ़िरोट यूनिवर्सिटी.

जार्सवेल्ड, एल.वी. 2011. *एन इंवेस्टिगेशन ऑफ़ सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी मिज़र्स एट सेकेंडरी स्कूल्स इन श्वाने*. साऊथ अफ्रीका. मेजिस्टर टेक्नोलोजी डिग्री. सिक्योरिटी मेनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ़ साऊथ अफ्रीका.

ज़ाबा, एम.आई. 2014. 'ए होलिस्टिक एप्रोच टू सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी एट स्कूल इन साऊथ अफ्रीका.' *मेडीटिरेनियन जर्नल ऑफ़ सोशल साइंसेज़*. वॉल्यूम 5. पृ. 20–29.

ज़ाबा, म्गाबला. 2006. 'एन इंवेस्टिगेशन इंटू द बेसिक सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी स्टेट्स ऑफ़ स्कूल्स फ़िज़िकल एन्वायरनमेंट.' *साऊथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ़ एजुकेशन*. वॉल्यूम 25(4). पृ. 565–580.

प्रशार, श्रद्धा. 2009. 'सेफ़ स्कूल, सेफ़ इंडिया.' *सीईएनबीओएसईसी – क्वार्टरली बुलेटिन ऑफ़ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन*. वॉल्यूम 48, अंक 2, अप्रैल-जून 2009. पृ. 9–15.

नेशनल क्राइम प्रोवेंशन काउंसिल. 2016. *स्कूल सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी टूलकिट*. रिट्रीव. फ्रोम http://www.ncpc.org/.

नेशनल डिज़ाजस्टर मेनेजमेंट डिवीजन. 2016. *स्कूल सेफ़्टी*. रिट्रीव. फ्रोम http://www.ndmindia.nic.in/.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2016. *गाइडलाइंस ऑन सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ़ चिल्ड्रन*. रिट्रीव. फ्रोम http://www.mhrd.gov.in/.

मेथ, के.एस.जे. 2008. *डिसीप्लीन, सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी इन स्कूल्स – ए चैलेंज फ़ॉर स्कूल मेनेजमेंट*. पीएच.डी. एजुकेशनल मेनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ़ जोहानसबर्ग.

शर्मा, राजीव. 2009. 'सेफ़्टी इन स्कूल्स'. *सीईएनबीओएसईसी – क्वार्टरली बुलेटिन ऑफ़ द सैंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन*. वॉल्यूम 48, अंक 2, अप्रैल-जून 2009. पृ. 27–29.